भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1246
दिनांक 09.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल से प्रवासी

1246. श्री एम. के. राघवनः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल से अन्य देशों में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े रखे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास केरल के उन प्रवासी भारतीयों से संबंधित आंकड़े हैं जो विगत तीन वर्षों के दौरान एक बार भी केरल नहीं आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे युवाओं की संख्या के संबंध में आंकड़े हैं जो अध्ययन के लिए केरल से बाहर पलायन कर गए हैं और उन देशों में स्टे–बैक और वर्क वीजा पर रह गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केरल से प्रतिभा पलायन की इस उच्च दर को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने दुबई में वीजामुक्त आगमन के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) से (ङ) आप्रवासन ब्यूरो, गृह मंत्रालय भारतीयों के प्रस्थान और आगमन का डाटा रखता है। राज्य–वार डाटा उपलब्ध नहीं है। विदेश की यात्रा करने वाले कुछ भारतीय नागरिक अपने रोजगार वाले देश में बस जाते हैं। सरकार विशेषकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के इस युग में,वैश्विक कार्यस्थल की वास्तविकता को समझती है। साथ ही साथ, सरकार भारतीय प्रवासियों के साथ अपने संबंधों में परिवर्तनकारी बदलाव लाई है। एक सफल समृद्ध और प्रभावशाली डायस्पोरा भारत के लिए लाभकारी है। सरकार के प्रयासों का उद्देश्य ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के साथ–साथ प्रवासी भारतीयों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करना भी है।

भारतीयों की यूएई यात्रा को आसान बनाने के संबंध में संबंधित यूएई प्राधिकारियों के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं की गई हैं।

*****